झारखण्ड सरकार

विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियाँ

उद्देश्य:–इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले तथा निर्धन छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करनी है जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्री–मैट्रिक छात्रवृति, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति, प्रावैधिक छात्रवृति, क्रीड़ा छात्रवृति, मुशहर छात्रवृति तथा गंदे कार्यो में लगे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृति प्रदान की जाती है।

प्रक्रिया :– प्राथमिक/मध्य, उच्च विद्यालय प्रवेशिकोत्तर कोर्स में नये नामांकित छात्र–छात्राओं एवं पूर्व से अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृति स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में संबंधित संस्था के प्रमुख के माध्यम से छात्रवृति स्वीकृति एवं नवीकरण के लिए आवेदन क्रमशः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के समक्ष वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के अंत तक उपलब्ध कराये जाते है। सम्बन्धित पदाधिकारी आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर आवेदन में वर्णित तथ्यों की जॉच कराते है। जॉचोपरान्त नवीन एवं नवीकृत छात्रवृति की सूची बनाई जाती है एवं इसे संबंधित छात्रवृति समिति के अनुमोदन हेतु रखी जाती है। सम्बन्धित समिति पूर्ण विचारोपरान्त सूची को अनुमोदित/संशोधित करती है। अनुमोदित सूची के आधार पर छात्रवृति का वितरण किया जाता है ।

india.gov.in INDIA

स्वरूपः– विभिन्न छात्रवृतियों की दर निम्नवत है :–

क्रमांक	मद का नाम	संशोधित दर, 01.04.1999 सेद्ध
1.	प्राथमिक विद्यालय	15/-प्रति छात्र, प्रति माह
2.	मध्य विद्यालय	30/-प्रति छात्र, प्रति माह
3.	उच्च विद्यालय	55/-प्रति छात्र, प्रति माह
4.	छात्रावासी	80/-प्रति छात्र, प्रति माह
5.	तकनीकी छात्रवृति	150/-प्रति छात्र, प्रति माह
6.	मुशहर छात्रवृति	30/-प्रति छात्र, प्रति माह

मद		सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित दर- प्रति माह	
	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति	दिवाकालीन	छात्रावासी
		अनुरक्षण भत्ता	अनुरक्षण भत्ता
1.	ग्रुप–‘ए‘	300/-	740/-
2.	ग्रुप–‘बी‘एवं ‘सी‘	330/-	510/-
3.	ग्रुप– ‘डी‘	185/-	335/-
4.	ग्रुप–‘ई‘	140/-	235/-

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)